भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2161
10 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निमतिता और तारापुर कल्याण अस्पताल का उन्नयन

2161. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को निमतिता और तारापुर कल्याण अस्पतालों को पूर्ण अस्पताल में बहाल करने के लिए जन प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) दोनों अस्पतालों में अवसंरचना और सेवाओं की कमी की वर्तमान स्थिति के क्या कारण हैं, खासकर तब जबकि क्षेत्र के बीड़ी उद्योग ने 2012 से 2017 तक कल्याण कोष में 140 करोड़ रुपये दिये हैं; और
(ग) दोनों अस्पतालों की स्थिति में नवीनतम सुधार क्या हुआ है और उक्त अस्पतालों में गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर इस प्रकार है:

(क) निमतिता औषधालय एवं तारापुर कल्याण चिकित्सालय, धुलियां को पूर्णरूपेण अस्पताल में पुनःस्थापित करने के लिए जन-प्रतिनिधियों की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) निमतिता औषधालय ओपीडी उपचार प्रदान करने के लिए एक बीड़ी श्रमिक कल्याण औषधालय है। तारापुर वेलफेयर अस्पताल, धुलियां एक 65 बिस्तरों वाला अस्पताल है जो चौबीसों घंटे आपातकालीन सहित ओपीडी और इनडोर दोनों उपचार सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में निमतिता औषधालय का उन्नयन करकें पूर्ण अस्पताल बनाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बीड़ी कल्याण कोष अधिनियम को 2019 में निरस्त कर दिया गया है और श्रम कल्याण संगठन के तहत सभी चिकित्सा इकाइयों और अस्पतालों को केंद्र सरकार के बजट से प्राप्त धन द्वारा चलाया जा रहा है।

*****